न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा राजस्व वाद 185/2012

वादीगण :–

1. मिसरीसिंह पुत्र देवीसिंह
2. माधुसिंह पुत्र देवीसिंह
3. गणपतसिंह पुत्र देवीसिंह
4. नरपतसिंह पुत्र देवीसिंह
5. जसदेवसिंह पुत्र हुक्मसिंह सभी जातियान पुरोहित निवासी तिरसिंगडी सोढ़ा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मांगीलाल पुत्र गंगाराम
2. गौतमचंद पुत्र गंगाराम जाति ओसवाल निवासी थोब
3. मदनसिंह पुत्र मोहनसिंह
4. उम्मेदसिंह पुत्र मोहनसिह जाति राजपुरोहित के कायम मुकाम :–
   4/1. सुखादेवी पत्नी उम्मेदसिंह
   4/2. आवेसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
   4/3. धुरेन्द्रसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपुरोहित निवासी देरिया हाल मार्फत मदन भाई पुरोहित, ओसवाल भवन शाहीबाग अहमदाबाद (गुजरात)
5. हंसराज पुत्र मोहनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी देरिया, तह0 पचपदरा जिला बाडमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

राजस्व वाद अन्तर्गत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी धारा 207 आर0टी0ए0 151 सी.पी.सी हेतु राजस्व वाद रिजेक्ट करने ।

उपस्थित :–1. श्री चेलाराम प्रजापत प्रतिवादीगण

2. श्री खुशालाराम पटेल वकील वादीगण

निर्णय दिनांक :– 09.09.2021

प्रतिवादी संख्या –5 की और से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि गंगाराम व मांगीलाल ने वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 642/412, 645/413, 655/426 रकबा क्रमशः 11.11 बीघा, 3–09 बीघा, 16.12 बीघा मौजा सरहद तिरसगडी सोढा की कुल 37 बीघा 12 बिस्वा भूमि सप्रतिफल 65,000/– रूपये में दिनांक ...03.2012 को प्रतिवादी संख्या 3 व 5 को बेचान कर दी विक्रय विलेख ... संख्या 695 दिनांक 21.05.2012 कसे क्रेतागण के पक्ष में पारित किया गया वाद पत्र में वर्णित अभिवचनों से यह स्पष्ट है कि वादीगण ने गंगाराम व मांगीलाल के पक्ष में गये बैचान को अवैध व शून्य अभिकथित करते हुए वाद–पत्र में यह सपष्ट किया अभिवचन प्रस्तुत किया है कि उक्त जमीन छल व कपट कर भोगलाने के स्थान पर रजिस्ट्री करवाई थी अर्थात गंगाराम व मांगीलाल के पक्ष में किया गया बैचान कपट पर आधारित था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:34:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

Scanned with CamScanner

छल कपट एवं भोगलावे के आधारों पर संस्थित वाद पत्र अन्तर्गत धारा 207 रा.का.अ. विधि से वर्णित है, क्योंकि छल व कपट कर भोगलावें, के स्थान पर बैचान रजिस्ट्री करवाने के सम्बन्ध में सहायता या अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है, ऐसा विधि द्वारा वर्जित है, इसके अतिरिक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तृतीय शेडयुल में उक्त आधारों पर वाद पत्र की सुनवाई का क्षैत्राधिकार केवल सक्षम सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है ।राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार विधि द्वारा वर्जित होने से वाद पत्र बाधित है।

अन्त में विवेचन किया गया कि प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादीगण के वाद विधि से वर्णित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जावें।

वादीगण के द्वारा प्रार्थना–पत्र का जबाब पेश कर प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना –पत्र के तथ्यों को अस्वीकार कर निवेदन किया गया कि वक्त सेटलमेन्ट से लगातार आज दिन तक उक्त भूमि पर हम वादीगण व हमारे से पूर्व हमारे पिता का कब्जा काश्त अनवरत चला आ रहा है, वादीगण द्वारा वाद अधिकारों की घोषणा हेतु पेश किया गया है, रेवन्यू कोर्ट को बेचाननामा दस्तावेज को प्रभाव शून्य घोषित करने का अधिकार है, वादीगण ने सही दावा पेश किया है, जिसके सुनने का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के प्रार्थना–पत्र को खारिज करने का निवेदन किया गया ।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई बहस के दौरान प्रतिवादी वकील श्री चेलाराम कुमावत ने न्याय दृष्टान्त आर.आर.टी 2010 (1) रणजीत कौर बनाम भगवानदास पेज सं. 124 व आर.आर.टी मधु बनाम पन्ना व अन्य (43) की प्रतिया पेश की हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद अवलोकन समूची स्थिति पर विवेचन करने के उपरान्त यह पाया गया कि प्रस्तुत वाद में किये गये अभिवचन वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में किये गये अभिवचन छल व कपट कर भोगलावे के स्थान पर बैचान रजिस्ट्री करवाने के सम्बन्ध में सहायता व अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है, धारा 207 आर.टी.ए के तहत विधि द्वारा वर्जित है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तृतीय शेडयूल में उक्त आधारों पर वाद पत्र की सनुवाई का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को ही है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के द्वारा इस प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत न्याय दृष्टांत नजीरें स्पष्ट रूप से छाया होते है।

प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी का स्वीकार वादीगण के द्वारा पंजीकृत बेचान दस्तावेज का शून्य घोषित करानें की सहायता एवं अनुतोष देने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से प्रस्तुत वाद विधि से वर्जित होने से इसी स्टेज पर अस्वीकार कर खारिज [illegible] की।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2021 को खुले [illegible] सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:34:56 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिकरी व मुकदमे इब्तादाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

मुकदमा राजस्व वाद 185/2012

वादीगण :–

1. गिरधारीसिंह पुत्र देवीसिंह
2. माधुसिंह पुत्र देवीसिंह
3. गणपतसिंह पुत्र देवीसिंह
4. नरपतसिंह पुत्र देवीसिंह
5. जसदेवसिंह पुत्र हुक्मसिंह सभी जातियान पुरोहित निवासी तिरसिंगडी सोढा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मांगीलाल पुत्र गंगाराम
2. गौतमचंद पुत्र गंगाराम जाति ओसवाल निवासी थोब
3. मदनसिंह पुत्र मोहनसिंह
4. उम्मेदसिंह पुत्र मोहनसिह जाति राजपुरोहित के कायम मुकाम :–
   4/1. सुखादेवी पत्नी उम्मेदसिंह
   4/2. आवेसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
   4/3. धुरेन्द्रसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपुरोहित निवासी देरिया हाल मार्फत मदन भाई पुरोहित, ओसवाल भवन शाहीबाग अहमदाबाद (गुजरात)
5. हंसराज पुत्र मोहनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी देरिया, तह0 पचपदरा जिला बाडमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

राजस्व वाद अन्तर्गत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी धारा 207 आर0टी0ए0 151 सी.पी.सी हेतु राजस्व वाद रिजेक्ट करने ।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री चेलाराम कुमावत वकील प्रतिवादी मिनजानिब श्री खुशालाराम वकील वादीगण मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी का स्वीकार वादीगण के द्वारा पंजीकृत बेचान दस्तावेज का शून्य घोषित करानें की सहायता एवं अनुतोष देने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से प्रस्तुत वाद विधि से वर्जित होने से इसी स्टेज पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन.करे।

बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारिख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.09.2021 को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:34:56 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपया	पै.	[illegible]	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	4/–		[illegible]	1/–	
स्टाम्प वकालतनामा	1/–		स्टाम्प अ[illegible]	2/–	
स्टाम्प वजह सबूत			महताना		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान	5/–		मीजान	3/–	

Scanned with CamScanner